न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / टी.ए. / 2493 / 2004 / जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. बालूराम पुत्र बक्शाराम, जाति जाट (मृत्तक)
   - 1.1 श्यामसिंह उर्फ भगवाना पुत्र बालूराम
   - 1.2 नन्दकुमार पुत्र बालूराम
   - 1.3 औंकार पुत्र बालूराम (मृत्तक)
     - 1.3.1 राजेश पुत्र औंकार
     - 1.3.2 सुरेश पुत्र औंकार
     - 1.3.3 मुकेश पुत्र औंकार, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम गुप्ता फार्म के पास, ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
     - 1.3.4 मु0 कल्याणी देवी पत्नी औंकार, जाति जाट, निवासी ढ़ाणी झीडावाली के पास, नेहरा की ढ़ाणी, तन ठीकरियां, ग्राम पंचायत ठीकरियां, सीकर रोड़ पर तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
2. बोदूराम पुत्र बक्शाराम, जाति जाट (मृत्तक)
   - 2.1 मालीराम पुत्र बोदूराम
   - 2.2 रूड़ाराम पुत्र बोदूराम, समस्त जाति जाट, निवासी–ग्राम बूचारा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
3. भगवाना पुत्र बालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—— **अप्रार्थीगण**

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्रीमती पूनम माथुर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थीगण।
(2) श्री श्याम बाबू, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक : 10 मई, 2012

यह रेफरेंस धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान् जिला कलक्टर, जयपुर

द्वारा प्रेषित रेफरेंस प्रकरण संख्या 98 / 1998 उनवानी सरकार बनाम बालूराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07–6–2004 के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया हैं।

2– रेफरेंस के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के साबिका खसरा नं0 192 / 2 रकबा 59.18 बीघा हाल खसरा नं0 350 रकबा 70.10 बीघा की खातेदारी प्राप्त करने के लिए एक दावा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बालूराम, बोदूराम व भगवाना ने विरूद्ध सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, उप जिलाधिकारी, जयपुर के न्यायालय में पेश किया। सरकार की तरफ से जवाब दावा पेश किया गया। परीक्षण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य–सबूत दावा दिनांक 20–5–1982 को डिक्री कर दिया।

3– तहसीलदार, सांगानेर ने अपने पत्र दिनांक 04–9–1998 को कॅवरिंग लेटर के साथ सहायक कलक्टर (तृतीय), जयपुर के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–5–1982 के विरूद्ध रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर को प्रस्तुत किया एवं प्रश्नगत निर्णय व डिक्री को निरस्त करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किये जाने का निवेदन किया। विद्धान् जिला कलक्टर, जयपुर ने प्रश्नगत भूमि की डिक्री एवं निर्णय, जो सहायक कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा दिनांक 20–5–82 को जारी की थी, को निरस्त किये जाने बाबत हस्तगत रेफरेंस दिनांक 07–6–2004 को राजस्व मण्डल को प्रेषित किया हैं।

4– उभय पक्ष के विद्धान् अभिभाषकगण की बहस सविस्तार सुनी गई एवं दोनों पक्षों के विद्धान् अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई, जो पत्रावली पर रखी गई।

5– राज्य सरकार की तरफ से बहस प्रारम्भ करते हुए विद्धान् उप राजकीय अभिभाषक श्रीमती पूनम माथुर ने निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरा नं0 350, जिसका कुछ रकबा सड़क में चला गया, को निकाल देने पर शेष 50 बीघा भूमि की खातेदारी परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रदान की गई हैं, उसका कोई आधार नहीं हैं। मूल अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में कभी भी बतौर खातेदार और उप काश्तकार अंकित नहीं हुआ हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 13, 15, 16, 19 व 180 (1) डी के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं, परन्तु अप्रार्थीगण तो वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज रहे एवं एक अतिक्रमी को कभी भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इस कथन के समर्थन में 2000 आर. आर.डी. पृष्ठ 95 (उच्च न्या.), 2012 आर.आर.डी. पृष्ठ 196 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अपास्त करने का निवेदन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दीर्घ काल तक कब्जा रहने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते, जैसा 2000 आर.

आर.डी. पृष्ठ 95 (उच्च न्या.) स्पष्ट करती हैं। विद्वान् उप राजकीय अभिभाषक ने आगे कथन किया कि यह रेफरेंस समय बाधित नहीं हैं, क्योंकि जो गैर कानूनी एवं साक्ष्यों तथा दस्तावेजों के तथ्यों के विरूद्ध मत व्यक्त करते हुए डिक्री जारी की गई हैं, वह खारिज की जानी चाहिए। ऐसे कानून शून्य डिक्री व निर्णय के विरूद्ध रेफरेंस पेश करने की कोई मियाद अवधि निश्चित् नहीं हैं। 2008 आर.बी.जे. पृष्ठ 501, 2011 (I) आर.आर.टी. पृष्ठ 668 के प्रकरणों में यह मत व्यक्त किया गया हैं।

6— परीक्षण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य तथा खसरा गिरदावरी के आधार पर जो डिक्री जारी की हैं, उसमें अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी दर्ज हैं एवं इस आधार पर निर्णय व डिक्री जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं हैं। उक्त तर्कों के आधार पर रेफरेंस स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—5—1982 खारिज करने का निवेदन किया गया।

7— अप्रार्थीगण की तरफ से बहस करते हुए विद्वान् अभिभाषक श्री हेमन्त सोगानी तथा श्री श्याम बाबू ने न्यायालय को अवगत कराया कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं0 350 रकबा 59.18 बीघा में से कुछ रकबा सड़क निर्माण में चला गया एवं शेष रकबा 50 बीघा ही रहा, जिस पर वादीगण—अप्रार्थीगण का कब्जा बहैसियत कृषक संवत् 2012 से चला आ रहा हैं। इस आराजी पर वादी ने पम्पसैट लगवाया व पक्का रिहायशी मकान भी बनवाया एवं वादीगण का निवास भी यहीं रहा हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का यह सबूत ही काफी हैं कि जयपुर टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में रहते व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने के समय बतौर कृषक काबिज थे, अतः वादीगण स्वतः खातेदार—काश्तकार हो गये। तत्पश्चात् लगातार कब्जे बाबत धारा 91 की कार्यवाही अप्रार्थी के खिलाफ होती रही। विद्वान् अभिभाषकगण का आगे कथन हैं कि वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के संबंध में दायर वाद में प्रार्थी—प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया, जिसमें तहसीलदार, सांगानेर ने जवाब दावा में यह माना कि अप्रार्थीगण—वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। वादीगण को संवत् 2012 अर्थात् दिनांक 03—5—1956 को बेदखल कर कब्जा राज हक में लिया गया तथा भूमि नगर पालिका सीमा की 3 मील की परिधि में स्थिति होने से खातेदारी नहीं दी जा सकती। परीक्षण न्यायालय ने पांच तनकीयात कायम कर साक्ष्य दस्तावेज पी.1 से पी.5 प्रदर्श करवाये एवं पी.डब्लु. 1 से पी.डब्लु. 7 तक के बयान करवाये। प्रतिवादी की तरफ से डी.1 दस्तावेज व गवाह डी.डब्लु1 पेश किये। साक्ष्य—सबूत के आधार पर विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने दावा डिक्री किया, जो कानूनन उचित एवं निष्पक्ष निर्णय था।

8— विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थीगण का आगे कथन हैं कि अप्रार्थीगण—वादीगण ने दावा बतौर कृषक ही अंकित करते

हुए दायर किया था, अतिक्रमी के तौर पर नहीं। खसरा गिरदावरी संवत् 2012–2019 EXP.–2 तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2032 EX-D.–1 से अप्रार्थीगण–वादीगण का नाम बतौर कृषक रिकार्ड में अंकित हुआ हैं एवं इस बात की ताईद सरकारी गवाह पी.डब्लु. 6 हनुमान सहायक, सहायक ऑफिस कानूनगो, पी.डब्लु. 7 रविन्द्र प्रकाश, पटवारी हल्का व डी.डब्लु.1 राधेश्याम, ऑफिस कानूनगो ने की हैं। अन्य गवाहान ने भी संवत् 2012 से लगातार अप्रार्थीगण के कब्जा–काश्त की ताईद की हैं। उन्होंने आगे बताया कि जयपुर के इस क्षेत्र में जमाबंदी नहीं बनी थी एवं 1976 आर.आर.डी. 645, 1977 आर.आर.डी. 81 व 1993 आर.आर. डी. 431 में यह माना हैं कि जहा जमाबंदी नहीं बनती हो, वहां खसरा गिरदावरी को ही एन्यूअल रजिस्टर माना जायेगा। वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दोनों से ही अपना दावा साबित किया हैं। 1996 आर.आर.डी. 538 में यह निर्धारित किया गया हैं कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी दावा डिक्री किया गया हो तो उसे धारा 232 के तहत रेफरेंस से निरस्त नहीं किया जा सकता।

9– विद्धान् अभिभाषक का यह भी तर्क हैं कि धारा 15 (3) व 19 (2) के अन्तर्गत समरी आवेदन पत्र पेश करने की समायावधि क्रमशः 3 व 2 वर्ष दी गई हैं, न कि दावा करने की। दावा पेश करने की कोई मियाद नहीं हैं तथा दावा तो कभी भी पेश किया जा सकता हैं, जिसकी पुष्टि 1978 आर.आर.डी. 512, 1987 आर.आर.डी. 304 व 1988 आर.आर.डी. 585 से होती हैं। दावा दिनांक 20–5–1982 को डिक्री किया गया था, उस समय तो गोल्यावास पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र था एवं अधिनियम, 1955 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि नगरपालिका क्षेत्र की 3 मील की परिधि में खातेदारी अधिकार का दावा नहीं लाया जा सकता, अतः इस संबंध में रेफरेंस में उठाया गया ऐतराज कानून खिलाफ हैं।

10– योग्य अभिभाषक का यह भी कहना हैं कि दावे के विरूद्ध अपील का प्रावधान हैं तथा डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की जानी चाहिए थी एवं रेफरेंस को अपील के विकल्प के रूप में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल की बृहत् पीठ ने 1966 आर.आर.डी. 44 में स्पष्ट व्यवस्था प्रदान की हैं। 1988 (2) डब्लु.एल.एन. (रेवे.) 240 से भी इस तर्क की पुष्टि होती हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध लाया गया रेफरेंस "स्कोप" से बाहर व विधि व्यवस्था के खिलाफ होने से खारिज किया जावें।

11– बहस के अंत में विद्धान् अभिभाषक का कथन हैं कि वैसे तो रेफरेंस हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हैं कि अत्यधिक विलम्ब के साथ रेफरेंस कभी भी पेश करने की छूट दी जा सकती हैं एवं मियाद बाहर रेफरेंस स्वीकार कर लिये जावें। हस्तगत रेफरेंस मण्डल के समक्ष लगभग 22 वर्ष के पश्चात् व जिला कलक्टर के सम्मुख लगभग

16 वर्ष पश्चात् पेश किये, जो 2000 आर.आर.डी. 52, 2003 डी. एन.जे. (राज0) 162, 2005 (3) डी.एन.जे. (राज0) 1270, 2006 (I) डी.एन.जे. (राज.) 142, 2010 आर.आर.डी. 499 व 2010 आर. बी.जे. 359 में प्रतिपादित सिद्धांतों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज किये जाने चाहिए। जिला कलक्टर के समक्ष यह रेफरेंस 6 वर्ष तक लम्बित रहा, यह अवधि भी युक्तियुक्त अवधि से कहीं ज्यादा हैं। उक्त बहस के आधार पर प्रस्तुत रेफरेंस गुणावगुण तथा असाधारण देरी से प्रस्तुत होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः रेफरेंस कोस्ट के साथ अस्वीकार किया जावें।

12— हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों व दस्तावेजों तथा संदर्भित निर्णयों व कानून का ध्यानपूर्वक अध्ययन, विवेचन एवं विश्लेषण किया।

13— सहायक कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा मुकदमा नं0 92 / 77 उनवानी बालूराम बनाम सरकार का निर्णय व डिक्री दिनांक 20—5—1982 को पारित की। तहसीलदार, सांगानेर ने दिनांक 04—9—1998 को पत्र के साथ उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेफरेंस जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित किया। जिला कलक्टर, जयपुर के यहां यह रेफरेंस लगभग छः वर्ष विचाराधीन रहते दिनांक 07—6—2004 को हस्तगत रेफरेंस राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया। इस प्रकार दावा डिक्री होने की तिथि से राजस्व मण्डल के समक्ष यह रेफरेंस 22 वर्ष बाद पेश किया गया। इस असाधारण एवं घोर विलम्बित रेफरेंस को इसी देरी के आधार पर खारिज करने का अप्रार्थीगण का तर्क हैं, जिसके समर्थन में जो न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं, उन पर दृष्टि डालना आवश्यक हैं।

1996 आर.आर.डी. 170 में माननीय उच्च न्यायालय ने आनन्दीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में धारा 82, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 व धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः—

(B) Raj. Land Revenue Act, 1956, Section 82 - Raj. Tenancy Act, 1955, Section 232 - Limitation - Exercise of powers of reference after inordinate delay (after 25 years in instant case), held unreasonable, arbitrary & illegal, hence quashed-Case law discussed & principles laid down.

2000 आर.आर.डी. 52 में अधिनियम की धारा 232 व 42 के संदर्भ में लाडबाई व अन्य बनाम राजस्व मण्डल के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 42 के उल्लंघन में पारित डिक्री के विरूद्ध 18 वर्ष पश्चात् पेश रेफरेंस को राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार किये जाने के निर्णय को अपास्त कर दिया।

2010 आर.बी.जे. 359 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एल.आरस् ऑफ जेठूजी व अन्य में धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्देशित किया हैं कि 36 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण के विरूद्ध रेफरेंस घातक हैं एवं स्वीकार नहीं किया जा सकता।

14– उक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह तय किया हैं कि असाधारण देरी से प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। जहां कोई मियाद तय नहीं हैं, वहां युक्तियुक्त समयावधि, कार्यवाही की जानी चाहिए। हस्तगत प्रकरण में यह देरी 22 वर्ष की रही हैं एवं अत्यधिक हैं। इन वर्षों में डिक्रीदार ने प्रश्नगत भूमि का उपयोग–उपभोग विभिन्न प्रकार से किया हैं एवं संभव हैं, प्रश्नगत भूमि आगे एक से अधिक लोगों को बैचान कर दी होगी। असाधारण देरी से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस को स्वीकार करने का अर्थ हैं कई दर्जन मुकदमेंबाजी बढ़ाना, जिसके लिए अंतिम उपभोक्ता किसी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

15– दावे की डिक्री व निर्णय के विरूद्ध प्रथम व द्वितीय अपील का प्रावधान उपलब्ध हैं। 16 वर्ष या 22 वर्ष तक निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध चुप रहना व फिर अचानक रेफरेंस पेश करने का निर्णय विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों व व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। इस अवधि में ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया जो विश्वास योग्य हो। माननीय राजस्व मण्डल की बृहत् पीठ ने 1996 आर.आर.डी. 44 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मीरा में यह व्यवस्था दी हैं कि "बेक डोर एन्ट्री" के रूप में रेफरेंस को प्रयाग में नहीं लिया जा सकता तथा विपक्षी मियाद बिन्दु पर अपना पक्ष रख सकता हैं। यही अवधारणा 1988 (2) डब्लु.एल.एन. (रेवे.) 240 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम समुन्द्र सिहं व अन्य में भी स्पष्ट की गई हैं कि जहां पक्षकारान को अपील जैसे सामान्य उपचार उपलब्ध हैं, वहां असामान्य उपचार उपयोग में नहीं लेने चाहिए। अतः तहसीलदार, सांगानेर व जिला कलक्टर, जयपुर ने अपील के स्थान पर रेफरेंस पेश करने का विकल्प 22 वर्ष बाद चुना हैं, वह अतार्किक, अनुचित एवं न्यायिक दृष्टांतों के विरूद्ध हैं।

16– मियाद बिन्दु पर ही योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने 2010 आर.आर.डी. 260 (उच्च न्यायालय) प्रस्तुत की हैं। सुनहरी देवी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य के इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने 1996 आर.आर.डी. 565 धन्नालाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 2000 आर.आर.डी. 52 लाडबाई व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 1996 आर.आर.डी. 170 आनन्दीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की चर्चा करते हुए निष्कर्ष दिया हैं कि :–

"Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - Reference to Board - Power to call for record and reference to Board - Decree passed by A.C.M. on 10.10.1979 - In exercise of powers u/s 232, Addl. Collector made reference to Board on 10.10.1994 - Board accepted reference on 14.3.1996 - No just reason or material on record justifying exercise of powers u/s 232 after such a long delay - Held, reference made by Addl. Collector and power exercised by Board, were unreasonable and unjust - Case law discussed."

17— माननीय उच्च न्यायालय की अवधारणा हैं कि अत्यधिक विलम्ब से रेफरेंस पेश करना ही घातक हैं एवं रेफरेंस की कार्यवाही असाधारण उपाय हैं।

18— विद्वान् सहायक कलक्टर (तृतीय), जयपुर द्वारा निर्णित हस्तगत दावे में भूमि धारक, तहसीलदार, सांगानेर ने अपना जवाब पेश किया। गवाह के रूप में ऑफिस कानूनगो डी. डब्लु. 1, सहायक ऑफिस कानूनगो पी.डब्लु.6 व हल्का पटवारी पी.डब्लु. 7 की गवाही करवाई गई। सरकारी रिकार्ड पी—1 से पी—5 खसरा गिरदावरियां पेश हुई एवं सरकारी पक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 20—5—1982 को जारी की गई। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण राजस्व अधिकारियों की जानकारी में यह डिक्री व निर्णय थे एवं राज्य सरकार 16 वर्ष तक कार्यवाही करने से बचती रही। यहां तक कि जिला कलक्टर, जयपुर के न्यायालय में भी 6 वर्ष तक प्रकरण विचाराधीन रहा एवं तत्पश्चात् रेफरेंस राजस्व मण्डल को भेजा गया। 22 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंस को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त मान्यताओं के अनुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता।

19— विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने तथा जिला कलक्टर ने रेफरेंस में यह तर्क दिया हैं कि अप्रार्थीगण अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतु पात्रता नहीं रखते व किसी भी एन्यूअल रजिस्टर में उनके नाम का अंकन नहीं हैं। अप्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहे हैं एवं एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस संदर्भ में विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत 1977 आर.आर.डी. 81 का उद्धरण उपयुक्त होगा :—

"(b) Raj.Tenancy Act, Sec. 19 - Whether K.G. for St. 12 can be considered as annual register for purpose of Sec. 19 - Annual registers current at time when R.T. Act came into force, relevant for purpose of deciding whether a person acquired rights u/s 19 -Annual registers for St 12 and earlier relevant and not for St. 15 and afterwards - R.A.A. erred in holding that deft, could not acquire rights u/s 19 because his name not entered in Jamabandi for St. 15 to 18 --Land Revenue Code of Jaipur will decide question whether K.G. was annual register since disputed land was a part of former Jaipur State - K.G. was annual register as held in 1959 R.R.D. 173 (H.C.) - Hence decision to confer khatedari rights u/s 19

on basis of entry in K.G. coupled with admission of ptff. that land, given for cultivation to deft. was correct."

20— उक्त संदर्भ में जयपुर में संवत् 2012 में भू प्रबंध कार्यवाही के विचाराधीन रहते खसरा गिरदावरी को एन्यूअल रजिस्टर की मान्यता दी गई हैं।

21— प्रदर्श.पी. 2 खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2019 तथा प्रदर्श.डी. 1 खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2032 तथा प्रदर्श. पी. 4 पेश की है, जिसमें बालूराम, बोदूराम व भगवाना वादीगण का नाम कृषक के रूप में दर्ज हैं तथा संवत् 2012 में बेदखल किया गया, का भी उल्लेख हैं। इस तथ्य की ताईद गवाहान पी.डब्लु. 1 से पी.डब्लु. 7 तक करते हैं। फलतः अप्रार्थीगण—वादीगण का नाम एन्यूअल रजिस्टर में होना साबित हैं। विद्वान् जिला कलक्टर, जयपुर ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया हैं कि दावा मौखिक गवाही के आधार पर डिक्री किया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बाबत अप्रार्थीगण की तरफ से 1996 आर.आर.डी. 538 हरिराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट होता हैं कि मौखिक गवाही के आधार पर दावा डिक्री किया जा सकता हैं एवं ऐसी डिक्री के विरूद्ध रेफरेंस चलने योग्य नहीं हैं :—

"Rajasthan Tenancy Act, Section 232 - Reference made by Collector before Board of Revenue for canceling the decree declaring the khatedari rights - Board cancelled the decree on grounds that the case was based on oral evidence and was filed after completion for ten years of the Settlement Operations - High Court set aside the order of the Board of Revenue as suit can be decreed on occular evidence - The petitioner is in possession of land since many years - Revenue record also supported this contetion - Impugned order, quashed."

22— अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 15 (3) के तहत तीन साल की समयावधि में दावा नहीं लाने के आधार पर डिक्री निरस्त करने का मत प्रकट किया हैं। इस बाबत अप्रार्थीगण की तरफ से 1978 आर.आर.डी. 512 व 1988 आर.आर.डी. 582 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये, जिसमें यह बताया गया हैं कि दावा लाने के लिए कोई मियाद तय नहीं हैं एवं धारा 19 (2) अधिनियम, 1955 तथा धारा 15 (3) में समरी प्रोसिडिंग हेतु यह अवधि निर्धारित हैं।

23— जहां तक नगरपालिका सीमा में खातेदारी का प्रश्न हैं, दावा यदि कृषि भूमि से संबंधित हैं तो यह नगरीय सीमा में भी लाया जा सकता हैं। 1982 में जब दावा डिक्री हुआ था, तब गोल्यावास व आस—पास का क्षेत्र संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र ही था। उस समय कृषि भूमियों की भी कोई असाधारण कीमतें नहीं थी, अतः इस बाबत रेफरेंस में प्रस्तुत टिप्पणी महत्वहीन हैं।

24— विद्धान् राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2000 आर.आर.डी. 95 अलवर जिले का होने एवं मात्र दीर्घ अवधि तक कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने से संबंधित हैं, जबकि हस्तगत प्रकरण में जयपुर जिले से संबंधित यह प्रकरण भिन्न तथ्यों के आधार पर असाधारण देरी से प्रस्तुत रेफरेंस से संबंधित हैं। 2012 आर.आर.डी. 196 में भी मात्र मौखिक गवाही के आधार पर पारित डिक्री से संबंधित हैं, जबकि यहां दस्तावेजी सबूत व मौखिक गवाही, दोनों के आधार पर पारित डिक्री से संबंधित हैं।

25— विद्वान राजकीय अभिभाषक का मत है कि जहां कानून के विरूद्ध डिक्री पारित की जाती है ऐसे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेफरेन्स कभी भी लाया जा सकता है एवं इसमें मियाद सीमा बाधक नहीं है । अपने कथन के समर्थन में 2011 आर.आर. डी. पृष्ठ—668 (उच्च न्यायालय) व 2008 आर.बी.जे. पृष्ठ—501 (उच्च न्यायालय) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। इस संबंध में न्यायालय का यह मानना है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी बिन्दूओं व न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ है कि परीक्षण न्यायालय की डिक्री एवं निर्णय विधिसम्मत् है एवं विधि सम्मत् निर्णय के विरूद्ध यदि रेफरेन्स भी किया जाये तो युक्तियुक्त समयावधि में व औचित्यपूर्ण आधार पर होने चाहिये। जिसका इस प्रकरण में अभाव पाया गया । विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का हम आदर करते है। परन्तु तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं। जैसे 2011 आर.आर.डी. पृष्ठ—668 का दृष्टान्त अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर पारित डिक्री के विरूद्ध पेश हुआ है ।

26— उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रथमतः प्रस्तुत रेफरेन्स 22 वर्ष की असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया है, जो उचित नहीं है व परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, दस्तावेजी व मौखिक गवाहों के आधार पर पारित की गयी है एवं रेफरेन्स को साधारण रूप से उपलब्ध उपाय अपील के माध्यम की अनदेखी कर रेफरेन्स जैसे विशेष उपाय को विकल्प के रूप में उपयोग में लिया गया है, जो अनुमत नहीं किया जा सकता। इन औचित्य के आधार पर यह रेफरेंस स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः खारिज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बी. एल. नवल)
सदस्य